न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 323 सन 2018

अनवान :–

1. अमरसिह पुत्र मुख्त्यारसिह जाति बाजीगर साकिन मीरपूर तहसील सिरसा हाल सोतीबडी तहसील नोहर।

बनाम

1. मुख्त्यारसिह पुत्र कपूरसिह जाति बाजीगर साकिन मीरपूर तहसील सिरसा हाल सोतीबडी तहसील नोहर।
2. बलजीतकौर पुत्री मुख्त्यारसिह जाति बाजीगर साकिन मीरपुर तहसील सिरसा ।
3. राजप्रित कौर पुत्री मूख्त्यारसिह जाति बाजीगर निवासी मीरपुर तहसील सिरसा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 11.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 73/64 के प0न0 339/437(27)के किला न0 8 ता 13 ,18 ता 23 प्रत्येक 0.253हैक , प0न0 338/437(28) के किला न0 5 ता 8 ,13 ता 17 व 24 ,25 प्रत्येक 0.253हैक प0न0 338/438(39) के किला न0 4/0.253 ,5/0.228 ,प0न0 मु0न0 83/25 के किला न0 0 के मु0न0 85/24 के किला न0 0 कुल तादादी 6.3250हैक भूमि में सयुक्त खाता में 2/3 हिस्सा मुख्त्यारसिह एवं रोही मोजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 74/63 के प0न0 339/436(14) के किला न0 25/0.228 ,प0न0 340/436(15) के किला न0 21/0.253 ,प0न0 340/437(26) के किला न0 1/0.228 ,10/0.253 ,11/0.253 ,20/0.253 ,कुल 4 की 0.9870हैक प0न0 339/437(27) के किला न0 4 ता 7 ,14 ता 17 ,24 ,25 कुल किता 10 की 2.3520हैक व प0न0 0 मु0न0 83/19 के किला न0 0 की 0.0260हैक गै0मु0खाला मु0न0 85/19 के किला न0 0 की 0.1770हैक प0न0 85/22 के किला न0 0 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता कुल 4.0480हैक भूमि जिसमे मुख्त्यारसिह का 93–1/3 हिस्सा का सयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा कपूरसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के

अमरसिह, बलजीत कौर, राजप्रति कौर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not official

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 73/64 की कल 6.3250हैक भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मोजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 74/63 की कुल 4.0480हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 93–1/3 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

Sanjay
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अमरसिह, बलजीत कौर, राजप्रति कौर